

Sanction order
DHE

पत्रांक :-3/यो01-12/2022 (उ0 शि0)

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिन्, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

राँची, दिनांक/
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत अंगीभूत
महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad के Science Block
(LG+G+6) के निर्माण कार्य हेतु रू0 37,47,68,000/- (सैंतीस करोड़
सैतालिस लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध
में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढसंकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 17.0% है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 27.3% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

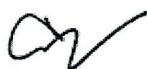
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 1567(नि0) दिनांक 05.07.2023 के द्वारा Estimate No.- 397/T.A/HE/JSBCCCL/2023-24, Page- 193 dated 10.05.2023 से बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य हेतु रू0 37,47,68,000/- (सैंतीस करोड़ सैतालिस लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र के संशोधित डी0 पी0 आर0 पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. अतः उपरोक्त कंडिका-3 के आलोक में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य हेतु रू0 37,47,68,000/- (सैंतीस करोड़ सैतालिस लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

5. SSLNT Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य का क्रियान्वयन PWD Code के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष- BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203102BP010678 (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृतादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृतादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

9. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

11. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के द्वारा किया जायेगा, जो समय-समय पर कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराते हुये प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त विषयांकित योजना के क्रियान्वयन का समय-समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

13. उक्त विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात् एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। SSLNT Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य हेतु विभागीय बजटीय उपबंध के आलोक में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निम्नवत् होगा-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
1	2023-24	10,00,00,000 /-	30 प्रतिशत
2	2024-25	20,00,00,000 /-	50 प्रतिशत
3	2025-26	7,47,68,000 /-	20 प्रतिशत

14. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के दिनांक 08.09.2023 को सम्पन्न बैठक के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0-243/2023 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान किया गया है -

(i) सुसंगत वित्तीय नियमावली के प्रवधानों के तहत समाग्रियों का कय किया जाय।

15. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के परामर्श के आलोक में SSLNT Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य में सामग्रियों का कय सुसंगत वित्तीय नियमावली के प्रवधानों के तहत झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

16. दिनांक 03.11.2023 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-01 के रूप में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत SSLNT Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

17. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

19. महालेखाकार का कार्यालय, अंकक्षण/वित्त (अंकक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकक्षण का अधिकार होगा।

20. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-12/2022 (उ0 शि0)/रॉची, दिनांक-...../2023

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-12/2022 (उ0 शि0) 2701/0005 /रॉची, दिनांक-08/12 2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/उप निदेशक, उच्च शिक्षा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.12.23

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

